भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 231
(22 जुलाई, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

कौशल विकास को बढ़ाने में एनआरएलएम की भूमिका

231. श्रीमती हिमाद्री सिंह:
श्री विष्णु दयाल रामः
श्री अरुण गोविल:
श्री शंकर लालवानी:
श्री आलोक शर्मा:
श्री राजेशभाई नारणभाई चुडासमा:
श्री सुखजिंदर सिंह रंधावा:
श्री बलभद्र माझी:
श्री नव चरण माझी:
श्री भोजराज नाग:
श्री विजय कुमार दूबे :
डॉ. राजेश मिश्रा:
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन:
श्री भर्तृहरि महताब:
श्री माधवनेनी रघुनंदन राव:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में , विशेषकर मध्य प्रदेश के भोपाल और सीहोर जिलों में , ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल विकास और रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) द्वारा निभाई गई भूमिका का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस संबंध में निजी क्षेत्र की संस्थाओं या गैर-सरकारी संगठनों के साथ कोई साझेदारी की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सीधी संसदीय क्षेत्र में एनआरएलएम के अंतर्गत युवाओं के रोजगार की स्थिति क्या है;

(घ) क्या सीधी संसदीय क्षेत्र में एनआरएलएम और निजी क्षेत्र की संस्थाओं या गैर-सरकारी संगठनों के बीच कोई साझेदारी की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. चंद्र शेखर पेम्मासानी)

(क) दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के अंतर्गत, ग्रामीण विकास मंत्रालय मध्य प्रदेश के भोपाल और सीहोर जिलों सहित देश में गरीबी उन्मूलन के लिए ग्रामीण गरीब युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराकर उनके कौशल विकास के लिए दीनदयाल

उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) और ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करता है।

दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) 15-35 वर्ष आयु वर्ग के ग्रामीण गरीब युवाओं के लिए नियोजन से जुड़ा कौशल विकास कार्यक्रम है। यह ग्रामीण गरीब युवाओं को रोजगारपरक कौशल प्रदान कर सशक्त बनाता है तथा नियमित श्रम बाजारों में उनकी भागीदारी को सुगम बनाता है। डीडीयू-जीकेवाई दिशानिर्देश एससी/एसटी (50%), महिलाओं (33%) और दिव्यांगजनों (5%) को सामाजिक समावेशन प्रदान करता है।

ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित प्रशिक्षण संस्थान हैं , जो प्रायोजक बैंकों द्वारा अपने जिलों में कौशल और उद्यमिता विकास के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए स्थापित किए जाते हैं। यह मंत्रालय आरएसईटीआई भवन के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है तथा 'ग्रामीण गरीब' अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण का खर्च भी वहन करता है। आरएसईटीआई में 18-50 वर्ष की आयु के किसी भी बेरोजगार युवा को प्रशिक्षण देने का प्रावधान भी है, जो स्वरोजगार या मजदूरी रोजगार करने के इच्छुक हो।

देश में, डीडीयू-जीकेवाई के तहत कुल 17,50,787 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है और कुल 11,48,247 उम्मीदवारों को नियोजित किया गया है और आरएसईटीआई के तहत कुल 56,69,352 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है और योजना की स्थापना से जून 2025 तक कुल 40,91,304 उम्मीदवारों को नियोजित किया जा चुका है।

मध्य प्रदेश के भोपाल और सीहोर जिले में डीडीयू-जीकेवाई और आरएसईटीआई के तहत जून 2025 तक प्रशिक्षित और नियोजित/रोजगार प्राप्त उम्मीदवारों का विवरण निम्नानुसार है:

योजना	डीडीयू-जीकेवाई		आरएसईटीआई	
जिले	प्रशिक्षित	नियोजित	प्रशिक्षित	नियोजित
भोपाल	2715	1705	2398	1912
सीहोर	4202	2556	7855	5450

स्रोत: मध्य प्रदेश राज्य सरकार और एनएसीईआर

इसके अलावा, ग्रामीण विकास मंत्रालय और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के बीच जून 2025 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं , जिसका उद्देश्य मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में डीएवाई-एनआरएलएम के तहत स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) महिलाओं को कौशल प्रदान करके और सहायता प्रदान करके ग्रामीण आजीविका को मजबूत करना है।

(ख) जी हां। डीडीयू-जीकेवाई और आरएसईटीआई योजनाएं निजी क्षेत्र की संस्थाओं और गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) के साथ साझेदारी के माध्यम से संचालित होती हैं। डीडीयू-जीकेवाई के अंतर्गत परियोजनाओं का कार्यान्वयन परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (पीआईए) द्वारा परियोजना मोड में किया जाता है। ये पीआईए कोई भी इकाई हो सकती है, जो इस प्रकार है:

i) राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर कोई सरकारी या अर्ध-सरकारी संगठन,

ii) नीति आयोग से पंजीकृत एनजीओ,

iii) भारतीय ट्रस्ट अधिनियमों या किसी राज्य सोसायटी पंजीकरण अधिनियम या किसी राज्य सहकारी समितियों या बहु-राज्य सहकारी अधिनियमों या कंपनी अधिनियम 2003 या सीमित देयता भागीदारी अधिनियम 2008, या स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और इसके संघों अर्थात् क्लस्टर स्तरीय संघ/ब्लॉक स्तरीय संघ के तहत पंजीकृत,

iv) स्टार्ट-अप आदि को छोड़कर तीन वर्ष से अधिक पुरानी इकाई।

(ग) सीधी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में डीडीयू-जीकेवाई के तहत 650 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है और 313 को मंजदूरी रोजगार दिया गया है। आरएसईटीआई के तहत 7212 युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है तथा 4892 को नियोजित किया गया है।

(घ) और (ड़.) मध्य प्रदेश राज्य ने सूचित किया है कि सीधी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में डीडीयू-जीकेवाई के अंतर्गत समझौता ज्ञापन (एमओयू) निष्पादित किए गए हैं। विवरण अनुबंध-। में दिया गया है।

"कौशल विकास को बढ़ाने में एनआरएलएम की भूमिका" के संबंध में लोक सभा में दिनांक 22.07.2025 को उत्तर दिये जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 231 के भाग (घ) और (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

क्र. सं.	सीधी में डीडीयू-जीकेवाई के तहत संस्थान/एनजीओ का नाम
1	एसीएमई एक्सीलेंट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड
2	एएसईसीटी
3	एम्बिशाइन स्किल्स प्राइवेट लिमिटेड
4	कैपिटल इन्फोलाइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
5	प्रौद्योगिकी और उद्यमिता विकास केंद्र
6	ग्रामीण उत्थान समिति
7	जोसेफ श्री हर्षा और मैरी इंद्रजा एजुकेशनल सोसाइटी
8	मंथन ग्रामीण एवं समाज सेवा समिति
9	शांति जीडी इस्पात एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड
10	सूर्या वायर्स प्राइवेट लिमिटेड